भाग दो - खण्ड दो

मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन)

नियमावली, 1966

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग भोपाल की अधिसूना क्र. 1724-दस-66 दिनांक 14-2-1966 (म.प्र. राज्यपत्र, (असाधारण) दिनांक 14-2-66 पृष्ठ 499-527) मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्र. 29, वर्ष 1964) की उपधारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम जो कि उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा आपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, बनाता है, अर्थात् -

नियम

1. संक्षप्त नाम तथा प्रारम्भ - ये नियम मध्य प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 कहलावेंगे।

2. परिभाषायें - उन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(1) ''अधिनियम'' से तात्पर्य मध्य प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 है।

[1](2) लुप्त।

[1](3) लुप्त।

(4) ''खण्डीय वन पदाधिकारी'' से तात्पर्य उस वन पदाधिकारी से है जो वन खण्ड का प्रभारी हो। (वन मण्डलाधिकारी)

[1](5) लुप्त।

(6) ''प्रारूप'' (Forms) से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न प्रारूप से है।

(7) ''क्रेता'' (Purchaser) से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या पक्ष से हैं, जिसे ऐसी रीति में, जिसका कि राज्य शासन धारा 12 के अधीन निर्देश दे, तेन्दू पत्ते बेचे गये हों।

(8) ''धारा से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।

(9) ''मानक बोरा'' (Standard bag) से तात्पर्य ऐसे बोरे से है जिसमें पत्तो ंकी 1000 मानक गड्डियां हों, और जहां मानक गड्डियां बोरे में भरी जाती हों, वहां मानक बोरा के संदर्भ में 1000 गड्डियां सन्दर्भ के रूप में लगाया जायेगा।

(10) ''मानक गड्डी'' से तात्पर्य ऐसी गड्डी से है जिसमें 50 तेन्दू पत्त हों।

(11) ''परिवहन अनुज्ञा पत्र'' से तात्पर्य तेन्दू पत्तों के परिवहन के लिये धारा 5 की उपधारा (2र खण्ड (ख) के अधीन जारी किये गये अनुज्ञा पत्र से है।

(12) उन समस्त अन्य शब्दों एवं अभिव्यक्तियों (Expressions) का, जो इन नियमों में प्रयोग में लाई गई हों, किन्तु उसमें परिभाषित न की गई हों, क्रमश वही तात्पर्य होगा जो कि उनके लिये अधिनियम में दिया हो।

[2]3 अभिकर्ता की नियुक्ति - विलोपित 2

---

1. नियम 2 के उपनियम (2), (3), (5) अधि. क्र. एफ. 26.2.2002 दस-3 दिनांक 6.1.09 द्वारा लुप्त।

2. म.प्र. शासन, वन विभाग अधि. क्र. 18-2-8-द-खखख दि. 29-11-88 (जो म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30-11-88 पृष्ठ 2371 पर प्रकाशित) के द्वारा नियम 3 विलोपित।

4. परिवहन अनुज्ञा पत्रः (1) परिवहन अनुज्ञा पत्र निम्न चार प्रकार के होंगे और ऐसे अधिकारियों अथवा व्यक्तियों द्वारा दिये जायेंगे जो उनके सामने वर्णित हैं।

अनु.	परिवहन अनुज्ञा-पत्र के प्रकार	अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाला अधिकारी
	(1)	(2)
I.	तेन्दू पत्ते के संग्रह केन्द्र (फड़) से गोदामों में परिवहन के लिये - (क) मुख्य अनुज्ञा पत्र टी. पी. I मुख्य (ख) सहायक अनुज्ञा पत्र (टी.पी. I) सहायक)।	खण्डीय वन प्रधिकारी (वन मण्डलाधिकारी) या उनके द्वारा लिखित में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी।
II.	एक संग्रहागार से दूसरे संग्रहागार तथा अथवा वितरण केन्द्रों तक परिवहन हेतु (प.अ.) (T.P. 2.)	खण्डीय वन पदाधिकारी (वन मण्डलाधिकारी) या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अधिकारी या व्यक्ति, निश्चित मात्रा तथा अवधि तक।
III.	वितरण केन्द्रों से सट्टेदारों या मजदूरों तक परिवहन के लिये अधिसूचना क्र. 18.1.73 दस 3(1) राजपत्र में दिनाक 5.9.75 को प्रकाशित द्वारा संशोधित।	खण्डीय वन पदाधिकारी (वन मण्डलाधिकारी) अथवा उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई व्यक्ति (प्रत्येक परिवहन) (Consignment) में अधिकतम मात्रा की सीमा वन मण्डलाधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी।
IV.	राज्य के बाहर परिवहन के लिए (क) मुख्य अनुज्ञा पत्र- फार्म परि. अनुज्ञा. 4 (मुख्य) T.P. 4(main) (ख) सहायक अनुज्ञा पत्र-फार्म परि. अनुज्ञा. 4 (सहा. (T.P. 4 Subsidiary)	खण्डीय वन पदाधिकारी (वन मण्डलाधिकारी) (Divisional Forest Officer) [1]या उनके द्वारा लिखित में अधिकृत अन्य अधिकारी सहायक खंडीय वन पदाधिकारी (Sub-Divisional Officer) या खण्डीय वन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या व्यक्ति

परन्तु खण्डीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer), यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उनके द्वारा परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने के लिये प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति योग्य नहीं है, तो वह ऐसा अधिकार तुरन्त रद्द कर देगा।

4. (2) ऊपर बताये गये किसी भी प्रकार के परिवहन अनुज्ञा पत्र को जारी करने के लिए आवेदन पत्र प्रारूप 'घ' में होगा और खण्डीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer) को प्रस्तुत किया जायेगा जो कि अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करेगा अथवा अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये किसी अन्य अधिकारी या व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा।

परन्तु खण्डीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer) यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि पत्ते, जिसके सम्बन्ध में आवेदन दिया गया है, शासन द्वारा उसके पदाधिकारी अथवा अभिकर्ता के क्रय नहीं किये गये हैं तो आवेदन को परिस्थितियों के अनुसार, जैसा उचित हो, सुनवाई का अवसर देते हुए, लिखित में आदेश देकर, ऐसे आवेदन पत्र को ऐसी अस्वीकृति का कारण दर्शाते हुए अस्वीकृत कर सकेगा।

4. (3) समस्त प्रकार के परिवहन अनुज्ञा पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे -

(क) तेन्दू पत्तों के प्रत्येक भार (Consignment) के सड़क, रेल, जल तथा हवाई, किसी भी परिवहन साधन में ले जाते समय, सम्बन्धित प्रकार का परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके साथ होगा।

(ख) पत्तों का परिवहन केवल उस मार्ग द्वारा की किया जायेगा, जो कि अनुज्ञा-पत्र में उल्लिखित हो और जांच पड़ताल के लिये उन्हें ऐसे स्थान या स्थानों पर पेश किया जायेगा जो कि उसमें उल्लिखित किये जावें।

(ग) खण्डीय वन पदाधिकारी या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये पदाधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय परिवहन नहीं किया जायेगा।

(घ) अनुज्ञा-पत्र ऐसी कालावधि के लिये मान्य होगा जो कि उसमें उल्लिखित की जाये।

(ङ) परिवहन अनुज्ञा-पत्र, खण्डीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer) द्वारा रद्द किये जाने के योग्य होगा, यदि यह विश्वास करने का कारण है, कि उसका दुरुपयोग किया गया है या दुरुपयोग किये जाने की समभावना है।

(च) समस्त परिवहन अनुज्ञा-पत्र, तेन्दू पत्तों के परिवहन के पश्चात् अथवा उसमें दर्शाई कालावधि व्यतीत होने के पश्चात् जो भी पूर्ववर्ती हो, समीपस्थ खण्डीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer) अथवा परिक्षेत्र अधिकारी (Range Officer) को, एक पखवाड़े के भीतर वापस कर दिये जायेंगे।

[1]5. तेन्दू पत्ता उत्पादकों से तेंदू पत्ता क्रय किये जाने हेतु दर निर्धारण की प्रक्रिया: राज्य सरकार, नियम 7 के उपबन्धों के अधीन, तेन्दू पत्ते की भिन्न-भिन्न इकाइयों या क्षेत्रीय वन मण्डल में पूर्व में प्राप्त किये विक्रय मूल्य तथा प्रचलित परिवर्तनीय बाजार की दरों को ध्यान में रखते हुए तेन्दू पत्ते के लिए क्रय दर का निर्धारण करेगी।

(2) मंत्रणा समिति उस सम्भाग के राजस्व आयुक्त के मुख्यालय में अपना अधिवेशन करेगी, जिसके लिये वह गठित की गई है।

(3) समिति के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता सभापति द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में संयोजक द्वारा की जायेगी। यदि सभापति एवं संयोजक दोनों ही अनुपस्थित हों, तो उपस्थित सदस्यगण किसी एक उपस्थित सदस्य को सभापति चुनकर अधिवेशन करेंगे।

(4) समिति का संयोजक, अधिवेशन के दिनांक, समय और स्थान को निश्चित करेगा और समिति के सदस्यों द्वारा सूचना प्राप्त होने कि अभीस्वीकृति अभिलेख में रखी जायेगी।

(5) समिति की चार सदस्यों से गणपूर्ति (quorum) होगी।

(6) समिति का कार्य विवरण हिन्दी, में देवनागरी लिपि में इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि जिससे उचित तथा युक्तियुक्त मूल्य के सम्बन्ध में, जिस पर कि राज्य शासन को छोड़कर अन्य उगाने वालों से तेन्दू पत्ते क्रय किये जा सकेंगे, समिति की सिफारिशें तथा ऐसे मामलों पर जो कि राज्य शासन द्वारा उनको निर्दिष्ट किये जायें, उसकी सलाह भी स्पष्ट रूप से प्रगट हो जायें।

---

1. म.प्र. शासन अधि. क्र. एफ. 26-2-2002-दस-3 दिनांक 6.1.09 से धारा (5) प्रस्थापित।

(7) बैठक की कार्यवाही (Proceedings), अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा अनुमोदित की जायेंगी, और उसका अनुमोदन, समिति की सिफारिशों की प्रामाणिकता (Approved) का अन्तिम प्रमाण माना जायेगा।

(8) समिति की सलाह, राज्य शासन को अधिवेशन की कार्यवाही (Conveyed) के द्वारा संसूचित की जायेगी, जो इस प्रकार भेजी जायेगी कि वह सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को, 15, दिसम्बर तक, या पूर्वोत्तर दिनांक तक, जिसे कि शासन किसी विशिष्ट वर्ष के लिए नियुक्त करे, पहुंच सके। तथापि राज्य शासन, किसी विशेष मामले में किसी समिति को धारा 7 के उपबन्धों के अनुसार, और समय अनुज्ञात कर सकेगा किन्तु इस हेतु (समय के लिए) समिति की ओर से, संयोजक , द्वारा, प्रार्थना-पत्र, पर्याप्त समय पूर्व शासन को प्रस्तुत करना चाहिये।

(9) धारा 7 के अधीन निश्चित मूल्य हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में ही राजपत्र में तथा यदि आवश्यक समझा जाये तो सम्बन्धित आयुक्त सम्भागों में परिचालित, ऐसे समाचार-पत्रों में जिन्हें सम्बन्धित वन संरक्षक, निश्चित करे, प्रकाशित किये जायेंगे।

(10) (i) समिति के उन अशासकीय सदस्यों को छोड़कर, जो कि मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य हों, अन्य सदस्य, को ऐसी यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो कि राज्य शासन के प्रथम ग्रेड (First Grade) पदाधिकारियों के लिये देय होते हैं।

(10) (ii) यात्रा भत्ते के बिल संयोजक को प्रस्तुत किये जायेंगे जो उनका सूक्ष्म परीक्षण (Scruitiny) कर प्रति हस्ताक्षरित (Dougntersing) करेगा तथा उन भत्तों को संवितरित (Disburse) करेगा।

6. उगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण-

(1) राज्य शासन के छोड़कर, तेन्दू पत्तों का प्रत्येक उगाने वाला, यदि यह सम्भावना हो कि वर्ष के दौरान उसके द्वारा उगाये गये पत्तों का परिमाण, एक मानक बोरे से अधिक हो जायेगा, स्वयं को धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करा लेगा।

(2) उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन प्रारूप (ड) में होगा तथा उस परिक्षेत्र अधिकारी (Range Officer) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर, उगाने वाले की वह भूमि स्थित हो जिस पर तेन्दू पत्ता उगते हों। परिक्षेत्र अधिकारी, सम्यक सत्यापन (Due verification) के पश्चात आवेदन पत्र उसकी प्राप्ति के तीस दिवस के अंदर खण्डीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer) को अग्रेषित करेगा जो ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, प्रारूप 'च' में प्रमाण-पत्र देगा या आवेदन पत्र को उसके लिये कारण लिखकर नामन्जूर करेगा।

(3) एक बार जारी किया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उस समय तक वैध रहेगा, जब तक कि खण्डीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer) द्वारा लिखित में कारण बताते हुए उसे रद्द अथवा संशोधित नहीं किया जाता, अथवा जब तक आवेदक के पास ऐसी भूमि है, जिसके लिये कि प्रमाण-पत्र लिया गया है, जो भी पूर्ववर्ती हो।

(4) यदि प्रमाण-पत्र गुम हो जाता है, अथवा विकृत हो जाता है, तो प्रत्येक प्रमाण-पत्र के लिए एक रुपये की देनगी पर, उसकी प्रमाणिक प्रतिलिपि खण्डीय वन पदाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

(5) उपरोक्त प्रमाण-पत्र, विक्रय के लिये, तेन्दू पत्तों का परिदान किये जाते समय संग्रहण केन्द्र (फड़) प्रस्तुत किया जायेगा, और उगाने वालों के पत्तों के क्रय के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, उसके द्वारा क्रय की गई मात्रा को लेखबद्ध करेगा।

(6) यदि शासन द्वारा अपेक्षित किया जाये तो, तेन्दू पत्तों को उगाने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रधारी, प्रत्येक वर्ष की 15 जुलाई को, खण्डीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer) या उससे वरिष्ठ किसी अन्य वन पदाधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में, 30 जून को समाप्त होने वाले वर्ष में उसके द्वारा एकत्रित एवं निवर्तित किये गये तेन्दू पत्तों का मानक बोरों में लेखा प्रस्तुत करेगा। उपरोक्त लेखाओं को उल्लिखित दिनांक तक प्रस्तुत न करने पर समझा जायेगा कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द हो गया है।

7. अस्वीकृत तेन्दू पत्तों के बारे में जांच की प्रक्रिया -

(1) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर जांच करने वाला अधिकारी, यथा-सम्भव शीघ्र, सम्बन्धित पक्ष या पक्षों को जांच करने के लिए नियत स्थान, दिनांक तथा समय सूचित (Intimate) करेगा।

(2) नियत दिनांक पर, या किसी ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक पर, जिस पर कि स्थगित (Ad-journed) जांच की जावे, ऐसा पदाधिकारी, उन पक्षों को या उनके द्वारा सम्यकरूपेण प्राधिकृत किये गये प्रतिनिधियों (Representative) की, जो कि उसके सामने उपस्थित (Appear) हों, सुनवाई पश्चात् तथा ऐसी जांच के पश्चात् जिसे कि वह आवश्यक समझे, धारा 9 की उपधारा (3) या (4) के अनुसार ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

(3) यदि पक्ष, या अनेक पक्ष (Parties), जैसी भी स्थिति हो, या तो स्वयं या अपने सम्यकरूपेण (Authorised), प्रतिनिधियों (Representative) द्वारा उपस्थित न हो, तो जांच अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, एकपक्षीय (Exparte) निर्णय लेगा।

परन्तु जांच अधिकारी का यह समाधान हो जावे कि पक्ष या पक्षों के उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण था, तो वह ऐसी जांच और करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, एकपक्षीय आदेश को निष्प्रभावी करते हुए यथोचित आदेश पारित कर सकेगा।

(4) यदि कोई प्रतिकार (Compensation) जिसके कि चुकाये जाने का आदेश जांच के परिणामस्वरूप दिया गया हो, या कोई भी संग्रहण व्यय, जिनके कि धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन चुकाये जाने के लिये इस प्रकार आदेश दिया गया हो, सम्बन्धित पक्ष को आदेशों के संसूचित (Communation) किये जाने से एक मास के भीतर चुकाये जायेंगे।

नियम - 8 बीड़ी विनिर्माताओं/तेन्दू पत्ता निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण

[1]नियम 8(1) बीडियों का निर्माता और/या तेन्दूपत्ता का निर्यातक वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस रु. 500/- का भुगतान करने के पश्चात् 1 वर्ष तथा रु. 2500/- को भुगतान एक बार कराकर 5 वर्ष के लिए तथा रजिस्ट्रीकरण फीस रु. 5000/- का भुगतान करने के पश्चात् 10 वर्ष के लिए भी किया जा सकेगा।

---

1. म.प्र. राजपत्र (असा. दिनांक 26.8.96 पृष्ठ 761 पर प्रकाशित। म.प्र. शासन वन विभाग की अधि. क्र. एफ 26-4-2005 दस-3 दि. 31-1-07 से धारा 8(1) संशोधित। जो राजपत्र भाग 4(ग) दि. 16.2.07 के पृष्ठ 37 पर प्रकाशित।

[1](2) धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लए आवेदन-पत्र प्रारूप ''छ'' में होगा और वह उस खंडीय वन पदाधिकारी के समक्ष फाइल किया जाएगा जिसके कि अधिकारिता के भीतर बीड़ी निर्माता तथा / या तेन्दू पत्तों का निर्यातक रहता हो या उसके कारोबार का मुख्य स्थान स्थित हो। यदि निर्माता या निर्यातक राज्य के बाहर निवास करता हो, तो वह अपना आवेदन-पत्र, राज्य के भीतर किसी भी खंडीय वन पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा। आवेदनकर्ता वह/वे केलेण्डर वष्ज्त्र दर्शाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित हो। रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम में जमा की जाएगी तथा इस साक्ष्य की प्रतिलिपि कि धनराशि जमा की गई है, रजिस्ट्रीकरण के आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जाएगी।

खंडीय वन पदाधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, प्रारूप ''ज'' में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकेगा या उस बाबत कारण अभिलिखित करने के पश्चात् आवेदन-पत्र रद्द कर सकेगा।

1(3) रजिस्टथ्ीकरण उतने वर्षों के लिये विधिमान्य होगा जितने वर्षों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।''

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत बीड़ी निर्माता तथा/या तेन्दू पत्तों का निर्यातक प्रारूप 'झ' में तेन्दू पत्तों के लेखाओं का रजिस्टर रखेगा। तथा वन क्षेत्रपाल से अनिम्न पदाधिकारी द्वारा जांच हेतु मांग किये जाने पर प्रस्तुत करेगा। वह अपने स्टाक की 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर व 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली तिमाही की विवरणीय वन मण्डलाधिकारी को प्रति वर्ष प्रस्तुत करेगा।

(5) खण्डीय वन पदाधिकारी द्वारा उप-नियम (1) के अधीन मंजूर किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर प्रत्येक बीड़ी निर्माता तथा/या तेन्दू पत्ता के निर्यातक, प्रारूप 'ट' में एक घोषणा 31 मार्च तक, या एसे अन्य दिनांक तक जो कि शासन द्वारा उल्लिखित की जावे प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि प्रमाण-पत्र गुम हो जावे या विकृत हो जावे,

तो ऐसे प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि खण्डीय वन अधिकारी के द्वारा प्रत्येक प्रमाण-पत्र के लिये पांच रुपये का भुगतान करने पर प्राप्त हो सकेगी।

(7) ऐसे बीडियों के निर्माता या /और ेन्दू पत्तों का निर्यातक का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, जिसने कि अधिनियम, इन नियमों, या राज्य शासन के साथ किये गये करार की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया हो, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत दण्डित किया हो तो या उसके करारनामे को समाप्त कर दिया गया हो तो रजिस्ट्रेशन वन संरक्षक द्वारा रद्द किया जाने योग्य होगा और ऐसे बीड़ी निर्माता या/और तेन्दू पत्ता निर्यातक का रजिस्टथ्ीकरण ऐसी कालावधि के लिये, जो कि 3 वर्ष तक बढ़ायी जासकती है, अस्वीकृत किया जा सकेगा:

परन्तु यदि बीडियों का निर्माता बीडियों का निर्माता या/और तेन्दू पत्तों का निर्यातक उपरोक्त आदेश से असन्तुष्ट है, तो वह राज्य शासन को अपील कर सकेगा।

---

1. म.प्र. शासन, वन विभाग अधि. क्र. एफ-26-4-94 दस-3 दि. 24.8.96 द्वारा धारा 8 के पैरा 1, 2, 3 प्रतिस्थापित।

9. बिक्री प्रमाण-पत्र - शासन या उसका पदाधिकारी या अभिकर्ता, जो क्रेता के पत्तों का विक्रय या परिदान करता हो, उसे प्रारूप 'ठ' में विक्रय प्रमाण-पत्र मन्जूर करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो धारा 12 के अधीन, शासन से पत्तों का क्रय करने का दावा करे उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह अपने दावे के समर्थन में विक्रय प्रमाण-पत्र पेश करे, जिसके पेश न करने पर दावा प्रतिग्रहीत नहीं किया जायेगा।

10. निरसन - मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता मंत्रणा समिति तथा मूल्य प्रकाशन नियम, 1964 और मध्य प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1965 एतद्द्वारा निरस्त की जाती है:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमावलियों के अधीन की गई कोई भी बात या कार्यवाही इस नियमावली के की गई समझी जावेगी।

टिप्पणी - याचिकाकर्ता को तेन्दू पत्ते की खरीदी स्वीकृत हुई। तेन्दू पत्ते की खरीदी से सम्बन्धित इकरारनामे में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि नवीकरण का आवेदन स्वीकृति या निरस्तीकरण के पूर्व वापस नहीं किया जा सकेगा तथा इन शर्तों के उल्लंघन की दशा में प्रतिभूति की राशि जप्त करने का प्रावधान था। याचिककर्ता ने आवेदन की स्वीकृति या निरस्तीकरण के पूर्व नवीनीकरण के आवेदन की वापसी हेतु सूचित किया। ऐसी स्थिति में प्रतिपूर्ति की राशि इकरारनामें की शर्तों के अनुसार जप्त की जा सकती है।

1प्रारूप क (विलोपित)

1 प्रारूप ख (विलोपित)

1 प्रारूप ग (1) विलोपित)

प्रारूप ग

क्रेता का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त 16 (क))

यह करार आज, दिनांक ..... मास..... सन् .....को प्रथम पक्ष के मार्फत कार्य करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके आगे 'शासन' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष श्री ..... आत्मज .....ग्राम..... पुलिस थाना ..... जिला..... जिन्हें इसमें आगे क्रेता कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में उनके दायाद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) व्यक्ति के मध्य किया जाता है।

चूंकि तेन्दू पत्तों का व्यापार तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों द्वारा वियिमित होता है।

और चूंकि शासन इस प्रयोजन के लिये विभिन्न इकाईयों में क्रेताओं की नियुक्ति करने का इच्छुक है।

और चूंकि शासन ने इसमें इसके पश्चात् दिये हुए निबन्धनों तथा शर्तों पर क्रेता की पेशकश को प्रतिग्रहीत कर लिया और उसे व खण्ड में इकाई क्रमांक ..... में 31 जनवरी को समाप्त होने वाली अवधि के लिये क्रेता के रूप में नियुक्त करने के लिये रजामन्द हो गया है।

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और सम्बन्धित पक्ष, पतद्द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं –

---

1. म.प्र. शासन, वन भिाग, अकिध. क्र. 18-2-8- दि. 29.11.88 से विलोपित।

(1) व खण्ड की इकाई क्रमांक ..... में जिसे अनुसूची 'क' में अधिक पूर्णता से वर्णित किया गया है (जो इसमें इसके आगे 'इकाई' रूप में निर्दिष्ट है) में उत्पादित शासकीय वन तथा भूमियों से उत्पन्न तेन्दूपत्ता का संग्रहण क्रेता करेगा। क्रेता द्वारा संग्रहण काल के दौरान इकाई की अनूसूची 'ख' में निर्धारित समस्त फड़ों पर तेन्दूपत्ता संग्रहण वन मण्डलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार करेगा। यदि क्रेता द्वारा संग्रहण कार्य संतोषजनक रूप से करना नहीं पाया जाता तो वन मण्डलाधिकारी पत्ते का विभागीय संग्रहण कराकर पत्ते का परिदान वास्तविक पूर्ण संग्रहण व्यय की क्रेता द्वारा अदायगी करने पर क्रेता को देंगे जिसे क्रेता को लेना होगा। यदि क्रेता परिदान नहीं लेता है तो वन मण्डलाधिकारी पत्तों को बेंच सकेगा तथा अवशेष मूल्य की राशि क्रेता से वसूल की जायेगी।

इकाई के बाहर का तेन्दूपत्ता क्रेता संग्रहण नहीं करेगा। इसी इकाई के निजी उत्पादकों से शासन अथवा उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा क्रय किये गये पत्तों की सम्पूर्ण मात्रा जिसकी पेशकश की गई हो का परिदान लेगा।

(2) यह करार ..... से प्रारम्भ हेागा और दिनांक ..... तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस प्रकार के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व ही परिवसित न कर दिया जाये।

(3) इस करार के सम्बन्ध में यही और सदैव यही समझा जायेगा कि वह मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के और उक्त अधिनियमों तथा नियमों के अधान समय-समय पर जारी किये गये आदेशों तथा अधिसूचना के तथा साथ ही मुख्य वन संरक्षक (उ.) की अधिसूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... के अधीन जारी की गई निविदा सूचना के निबन्धनों तथा शर्तों के जो इस प्रकार करार के भाग होंगे और उसके भाग बने गये समझे जायेंगे और जिनका यह अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित है, उपबन्धों के अध्यधीन है।

(4) क्रेता एतद्द्वारा शासन के साथ निम्नानुसार अभिव्यक्ति रूपेण करार करता है -

(क) क्रेता शासन को, उसके शासकीय वनों तथा भूमियों से रूपये ..... प्रति मानक बोरा की दर से संग्रहण किये गये तेन्दूपत्तों की समस्त मात्रा एत्रा एवं शासन द्वारा यह उसके पदाधिकारी अभिकर्ता द्वारा दिनांक ..... को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान हरे कच्चे बिना बोरे में भरे निजी उत्पादकों से क्रय कर राशि की अदायगी करेगा जिसमें सेल्स टैक्स, वन विकास उपकर तथा अन्य कर एवं संग्रहण व्यय शामिल नहीं है।

नोट - क्रेता उसको दी जाने वाली तथा उसके द्वारा संग्रहण की जाने वाली प्रति मानक गड्डी जिसमें बीड़ी बनाने योग्य ही 50 तेन्दूपत्ते होंगे में 5 पत्तों की कमी या बेशी बाबत कोई आपत्ति नहीं उठावेगा।

(ख) (एक) ऐसी तेन्दू पत्तों की मात्रा जो शासन द्वारा या उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा निजी उत्पादकों से क्रय की जावेगी, के सम्बन्ध के क्रेता इनमें इसके पश्चात् निम्नलिखित दी गई रीति में क्रय मूल्य की देनगी करने के पश्चात् तुरन्त ही पत्ती इकट्ठी होने के दिन से दो दिन के भीतर इकाई में संग्रह केन्द्र या केन्द्रों पर अनुसूची (ख) में वर्णित स्थानों पर जो खण्डीय वन पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर प्रज्ञापित की जाये, तेन्दू पत्ते का परिदान लेगा। उपरोक्त अभिप्राय के लिये खरीददार अग्रिम अदायगी करेगा, जिसका कि समायोजन अन्तिम हिसाब के समय में किया जायेगा।

(दो) उपरोक्त (ख) (एक) में वर्णित प्रयोजन के लिये क्रेता को प्रत्येक संग्रहण केन्द्र में एक प्रतिनिधि रखना होगा, जिससे पत्तों के संग्रहण करने की तिथि से, दो दिन के भीतर ही पत्तों का परिदान लेना होगा, इकाई में पत्तों का संग्रहण प्रारम्भ होने के पूर्व हस्ताक्षरों के नमूने सहित प्रतिनिधियों के नाम, खण्डीय वन पदाधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे।

(तीन) यदि क्रेता इसके आगे उपबन्धित रीति से क्रय मूल्य का भुगतान करने तथा संग्रहण की तिथि से दो दिनों के भीतर पत्तों का परिदान लेने में असफल रहता है, तब खंडीय वन पदाधिकारी, ऐसे पत्तों की समस्त या आंशिक मात्रा का अपने स्वविवेक से -

(अ) क्रेता को परिदान अस्वीकृत करेगा।

(ब) किसी भी अन्य व्यक्ति को परिदान कर सकेगा।

(स) क्रेता को ही निगरानी खर्च बतौर रुपये 1.00 पति मानक बोरा अतिरिक्त धनराशि की वसूली करने के पश्चात् परिदान और/अथवा

(द) उल्लंघन के लिये करारनामें में उपबंधत कोई भी कार्यवाही कर सकता है। यदि यथास्थिति शासन, उसका पदाधिकारी या अभिकर्ता ऐसे पत्तों की, जो कि क्रेता को, बाद में परिदत्त किये जायें, की सुखाई तथा बोरों में भराई का कार्य करते हैं, तो खंडीय वन पदाधिकारी द्वारा, सुखाई तथा बोरों की कीमत सहित भराई का निश्चित खर्च का क्रेता भुगतान करेगा तथा उनका निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।

(ग) यदि क्रेता नीचे वर्णित (घ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा शासकीय वन तथा भूमियों से संग्रहित पत्तों को एवं शासन उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा निजी उत्पादकों से क्रय कर उसे (क्रेता को) परिदान हेतु प्रस्तुत

पत्तों को अपने गोदाम में निरापद रखने के लिये इच्छुक नहीं होता तो वह उपरोक्त समस्त तेन्दूपत्तों की संग्रहण केन्द्रों से निकासी करने के पूर्व क्रय मूल्य का भुगतान नीचे निर्दिष्ट रीति से करेगा -

(एक) क्रेता को परिदान के लिये संभावित मात्रा के लिये अधोलिखित दरों से परिक्षेत्राधिकारी को अथवा वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी को परिदान के समय अथवा पूर्व नगद में भुगतान ऐसे पदाधिकारी से रसीद प्राप्त करके करना होगा।

मद	दर प्रति मानक बोरा
(1)	(2)

1. राज्य शासन को छोड़कर अन्य उगाने वालों से पत्ता खरीदी की दर ..... रुपये

2. शासकीय अभिकर्ता को देय हस्तन व्यय ..... रुपये

3. शासकीय अभिकर्ता को देय पारिश्रमिक ..... रुपये

(दो) क्रेता संग्रहण केन्द्रों से उपरोक्त समस्त तेन्दूपत्तों की निकासी करने से पूर्व क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट या काल डिपाजिट रसीद द्वारा पूर्ण मूल्य की शेष राशि का भुगतान करेगा।

(घ) यदि क्रेता उसके द्वारा शासकीय वन तथा भूमियों से संग्रहित एवं शासन, उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा निजी उत्पादकों से क्रय कर परिदान हेतु प्रस्तुत तेन्दू पत्तों की समस्त मात्रा को प्रदेश के भीतर गोदाम (मों) में खण्डीय वन पदाधिकारी द्वारा इस विशिष्ट उद्देश्य के लिये अनुमोदित कराके निरापद रखने के लिए लिखित में सहमत होता है। अथवा परिदत्त पत्ते वन विभाग से सम्बन्धित गोदाम (मों) में ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर जैसे कि पारस्परिक सहमति द्वारा विनिश्चत किया जाये अथवा क्रेता परिदत्त पत्तों को प्रदेश के किसी अन्य वन खण्डों में स्थित अपने गोदाम (मों) से सम्बन्धित खण्डीय वन पदाधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में वह इकाई स्थित हो, से अनुमोदित कराके निरापद रखने के लिए लिखित रूप से सहमति देता है तथा जब तक गोदामों में रखे जाने, वाले पत्तों के बाबत सम्पूर्ण रकम जमा नहीं हो जाती, तब तक उसके पर्याप्त नियंत्रण के लिये एक फारेस्ट गार्ड के रखने में उस पर लगाने वाले समस्त निरीक्षण व्यय रुपये 456/- प्रतिमाह की दर से तथा इसमें समय-समय पर होने वाली वृद्धि सहित वहन करने एवं उस रकम को अग्रिम रूप से जमा करने की लिखित रूप से सहमति देता है तो वह नीचे निर्दिष्ट रीति से क्रय मूल्य का भुगतान करेगा -

(एक) क्रेता, शासन या उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा निजी उत्पादकों से क्रय कर परिदान हेतु प्रस्तुत किये गये तेन्दूत्त पत्तों की मात्रा के लिए अधोलिखित दरों से परिक्षेत्राधिकारी को अथवा वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी को परिदान के समय अथवा उसके पूर्व नगद में भुगतान करेगा, ऐसे पदाधिकारी से रसीद प्राप्त कर रखना होगा।

मद	दर प्रति मानक बोरा
(1)	(2)

1. राज्य शासन को छोड़कर अन्य उगाने वालों से पत्ता खरीदी की दर ..... रुपये

2. शासकीय अभिकर्ता को देय हस्तन व्यय ..... रुपये

3. शासकीय अभिकर्ता को देय पारिश्रमिक ..... रुपये

(दो) आंशिक क्रय मूल्य जो पूर्ण क्रय मूल्य का दस प्रतिशत होगा का भुगतान पन्द्रह मई, 1984 तक क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट्स या काल डिपाजिट रसीद द्वारा करेगा।

(तीन) शेष क्रय मूल्य का अनुमानत तीन बराबर किश्तों में क्रास्ड बैक ड्राफ्ट्स या काल डिपाजिट रसीद द्वारा भुगतान करेगा।

(2)	(3)
पहली किस्त	1 अक्टूबर
दूसरी किस्त	1 नवम्बर
तीसरी किस्त	1 दिसम्बर

जैसे ही क्रेता एक किस्त का भुगतान कर देता है, वह इस शर्त के उपबन्धों के अन्तर्गत गोदाम में रखे 1/3 भाग को पाने का हकदार बन जायेगा। यदि क्रेता द्वारा किसी किस्त का भुगतान आंशिक रूप से किया जाता है तो उसे भुगतान की गई रकम के मूल्य का तेन्दू पत्ता गोदाम से परिदान किया जायेगा।

(चार) यदि क्रेता उपरोक्त उपशर्त (ग) एवं (घ) (तीन) के स्थान पर बैंक गारंटी देने एवं पत्ता प्राप्त करने की सुविधा उठाना चाहता है, तो उसे इकाई की स्वीकृति क्रय राशि जिसमें समस्त कर शामिल है, के बराबर की राशि अनुसूचित बैंक की गारंटी उस फर्म में जो शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा जिसकी अवधि 31 मार्च, 200..... तक होगी 15 जून..... तक सम्बन्धित वन मण्डलाधिकारी के नाम उनके कार्यालय में जमा करनी होगी। इस बैंक गारंटी के आधार पर क्रेता को उसके द्वारा संग्रहण किये गये तथा निजी उत्पादकों के शासन, उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता से उपशर्त तिहाई भाग 2/3 परिवहन करने की अनुमति दी जा सकेगी, क्रेता द्वारा क्रय राशि जिसमें विक्रय कर, वन विकास उपकर एवं अन्य कर भी सम्मिलित होंगे, का भुगतान उपशर्त (तीन) में निर्धारित देय तिथियों को क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट या काल डिपाजिट रसीद द्वारा करना होगा।

प्रथम किस्त की देय तिथि को देय किस्त की भुगतान कर देने पर क्रेता को गोदाम में रखी शेष मात्रा मुक्त कर दी जायेगी, यदि क्रेता द्वारा देय तिथि/तिथियों को किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो देय राशि की वसूली बैंक गारण्टी से की जायेगी। जब तक पत्ता गोदाम में रहेगा, गोदामीकरण से सम्बन्धित उपशर्त (2) एवं (3) क्रेता पर लागू होगी। क्रेता द्वारा क्रय राशि की बैंक गारंटी देने के बावजूद करारनामें की शर्त क्र. 4(घ) (1) (दो) के अनुसार 10 प्र.श. आंशिक क्रय की राशि 15 मई ..... तक जमा करना आवश्यक होगा।

(5) यदि क्रेता पूर्ण क्रय मूल्य की राशि के स्थान पर 45 प्रतिशत क्रय राशि (जिसमें समस्त कर शामिल हैं) की बैंक गारंटी 31 मार्च, 20..... तक की उपरोक्तानुसार प्रस्तुत करता है तो उसे गोदाम में रखे पत्तों का 1/3 भाग मुक्त किया जायेगा। प्रथम किस्त की देय तिथि को प्रथम किस्त का भुगतान क्रस्ड बैंक ड्राफ्ट या काल डिपाजिट रसीद द्वारा क्रय कर दिए जाने पर क्रेता को इसी बैंक गारंटी पर गोदाम में शेष बचे पत्तों की मात्रा में से आधी मात्रा (बराबर कुल संग्रहण की एक-तिहाई मात्रा) मुक्त कर दी जायेगी।

(6) दूसरी किस्त की देय तिथि को देय किस्त का भुगतान कर देने पर क्रेता की गोदाम में रखी अंतिम शेष मात्रा (बराबर) कुल उत्पादन के एक-तिहाई मात्रा को मुक्त कर दी, जायेगी, तीसरी किश्त की देय तिथि को किश्त का भुगतान क्रेता द्वारा किया जायेगा। यदि क्रेता द्वारा देय तिथि/तिथियों को भुगतान किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता है तो देय राशि की वसूली बैंक गारंटी में से की जायेगी। पुनः आगामी किस्त के लिये इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये क्रेता को नई बैंक गारंटी देनी होगी। क्रेता द्वारा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि का भुगतान कर दिये जाने पर पूर्ण क्रय मूल्य की बैंक गारंटी अथवा 45 प्रतिशत मूल्य की बैंक गारंटी को मुक्त कर दिया जोयगा, जब तक पत्ता गोदामों में रहेगा, गोदामीकरण से सम्बिधत उपशर्त (2) एवं (3) क्रेता पर लागू होगी। क्रेता द्वारा बैंक गारंटी देने के बावजूद करारनामें की शर्त (4) (घ) (1) (2) के अनुसार 10 प्र.श. आंशिक मूल्य की राशि 15 मई..... जमा करना आवश्यक हेागा।

(2) पत्ते क्रेता की अभिरक्षा, देख-रेख प्रयवेक्षण तथा जोखम पर, लेकिन खंडीय वन पदाधिकारी के नियंत्रण में रखे जायेंगे और इस शर्त पर कि गोदाम (मों) में विभागीय ताला लगाकर अथवा किसी ऐसी अन्य प्रक्रिया द्वारा जैसी कि खंडीय वन पदाधिकारी ने आदेशित की हो, खंडीय वन पदाधिकारी अथवा परिक्षेत्राधिकारी को अभिर्गमन तथा नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार होगा।

(3) गोदाम पक्के होंगे तथा ऐसी धनराशि के बराबर के लिये बीमा शुदा होंगे जो कि क्रेता के ऊपर संभवतः बकाया होगी। बीमा की गई इस धन राशि के अतिरिक्त वह जहां वन विभाग की गोदाम/ (मों) किराये पर ली जाती है, उनका बीमा उनके निर्माण व्यय के बराबर की धनराशि का करायेगा। गोदाम में आग लगने एवं पत्तें जल जाने की दशा में करार अवधि में यदि बीमा कम्पनी द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो देय राशि, उस पर विक्रय कर, वन विकास उपकर एवं अन्य कर सहित भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेता की रहेगी। ऐसे प्रकरणों में देय राशि पर ब्याज भी क्रेता से वसूल किया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा किये गये भुगतान एवं देय राशि में यदि कोई अन्तर होगा तो वसूल किया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा किये गये भुगतान एवं देय राशि में यदि कोई अन्तर होगा तो उसके भुगतान की जिम्मेदारी भी क्रेता की होगी अर्थात् अन्तर की राशि क्रेता द्वारा पटायी जायेगी।

(4) ऐसी किस्त या किस्तों के सम्बन्ध में जो उपर्युक्त उपखण्ड (दो) एवं (तीन) में वर्णित नियत दिनांक या दिनांकों को न चुकायी जाय। 16 प्रतिशत की दर से ब्याज फारेस्ट कांट्रैक्ट रूपल्स में दी गई रीति में वसूल किया जोयगा।

(ङ) (1) उपर्युक्त उपखण्ड (ग) तथा (घ) के अधीन देय रकम के अतिरिक्त यथास्थिति मध्यप्रदेश जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1958 (मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्र. 2 सन् 1959) और सेन्ट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, 1956) (केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956) के उपबन्धों के अनुसार वन विभाग द्वारा देय विक्रय कर मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम (15/1982) के अन्तर्गत लगाया गया वन विकास उपकर तथा अन्य कर उपर्युक्त उपखण्ड (ग) और या (घ) के अधीन देय मूल्य दिये जाने के समय क्रेता द्वारा चुकाया जायेगा।

(2) उपखण्ड (ग) और (घ) के अधीन शोध्य रकम या किस्त जैसी भी कि दशा में तब तक चुकाई गई नहीं समझी जायेगी तब तक कि उसके साथ देय विक्रय कर मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम (15/1982) के अन्तर्गत लगाया गया वन विकास उपकर तथा अन्य कर (देखिये उपखण्ड (ङ) (1)) भी पूर्णतः न चुका दिया गया हो।

(3) क्रेता पश्चातवर्ती दायित्वों के लिये भी यदि कोई हो जिसमें कि इस करार के अधीन इसके बेंचे गये तेन्दू पत्तों के सम्बन्ध में राज्य शासन के विक्रय कर विभाग या केन्द्रीय सरकार या वन विभाग द्वारा विक्रय कर मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम (15/1982) के अन्तर्गत लगाया गया वन विकास उपकर तथा अन्य कर के मद्धे अधिरोपित की गयी धनराशियों की देनगी सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।

(च) शासन या उसका पदाधिकारी या अभिकर्ता क्रेता को पत्तों के परिदान के पश्चात् मध्य प्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 के प्रारूप 'ठ' में उसका विक्रय का प्रमाण-पत्र मंजूर करेगा।

(छ) यदि पूर्वोक्त एवं निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट परिदान तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन/परिपालन नहीं किया जाता है तो पत्तों को परिदत्त तथा क्रय किया गया नहीं समझा जायेगा।

(ज) क्रेता मध्य प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा इंडियन फारेस्ट एक्ट, 1927 (भारतीय वन अधिनियम 1927) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के द्वारा या अधीन, जहां तक कि इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिये अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उनके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिये स्वयं को आबद्ध करता है और अपने अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबन्धनों तथा शर्तों के सम्यक पालन तथा अनुपालन किये जाने के लिये उक्त वन पदाधिकारी के पक्ष में निक्षिप्त की गई ..... रुपये ..... की राशि की प्रतिभूति देगा। क्रेता और यह भी करार करता है कि ऐसी प्रत्येक चूक के लिये जो शासन को 500 रुपये (पांच सौ) की धनराशि की देनगी करेगा जो

उसके द्वारा की गई हो अथवा ऐसे प्रत्येक कार्य के लिये जो मध्य प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा इस करार का उल्लंघन करते हुए, उसके द्वारा नियोजित किये गये व्यक्तियों द्वारा किये गये हों।

(झ) यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करे और यदि ऐसे किसी भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो खंडीय वन पदाधिकारी प्रत्येक भंग के लिये ऐसी शास्ति जो 500 (पांच सौ) रुपये से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा। यदि शास्ति की राशि 200 (दो सौ) रुपये से अधिक हो तो इस आदेश के विरूद्ध, आदेश होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर अपील, वन संरक्षक को की जा सकेगी। जिसका विनिश्चिय अंतिम तथा बन्धनकार होगा। परन्तु वन संरक्षक को की गई अपील के निर्णय में किसी वैधानिक बिन्दु पर पुनरीक्षण हेतु अपील मुख्य वन संरक्षक के निर्णय की तिथि से 45 दिन की अवधि में की जा सकेगी।

(ञ) (1) यदि क्रेता अदायगी करने में या इस प्रलेख के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्धों का अनुवर्तन करने में चूक करता है तो ऐसे किन्हीं भी अन्य अधिकारी तथा उपचारों पर जो शासन अथवा सक्षम अधिकारी को प्राप्त हो, प्रतिफल प्रभाव डाले बिना शासन अथवा समक्ष अधिकारी अपने विकल्प पर इस करार को समाप्त कर सकेगा तथा क्रेता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की 25 प्रतिशत राशि में से क्रय मूल्य के 20 प्रतिशत राशि के बराबर प्रतिभूति निक्षेप का अधिहरण कर सकेगा और शासन या उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता के पास पड़े तेन्दू पत्तों के अपरिदत्त स्टाक को और/अथवा उपरोक्त शर्त (4) (ध) के अनुसार गोदाम में रखे तेन्दू पत्तों को यदि कोई हो, पुनः बेच सकेगा, यदि ऐसे पुनः विक्रय पर प्राप्त मूल्य ऐसे अपरिदत्त स्टाक या गोदाम में रखे स्टाक के क्रय मूल्य से कम होता हो, तो अन्तर की देनगी क्रेता द्वारा मांग सूचना में उपदार्शित की गई राशि की देनगी के लिये खंडीय वन पदाधिकारी द्वारा जारी की गई मांग सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर की जायेगी। यदि वह अन्तर पन्द्रह दिन की उपर्युक्त कालावधि के भीतर न चुकाया जाये तो वह क्रेताओं से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल किया जायेगा। इसके अतिरिक्त शासन अथवा सक्षम अधिकारी क्रेता को ऐसी अवधि के लिए जो पांच साल से अधिक न हो काली सूची में अंकित कर सकेगा। परन्तु यदि पश्चातवर्ती निवर्तन में अधिक राशि प्राप्त होती है, तो उस अधिक राशि पर क्रेता का अधिकारी अथवा दावा नहीं होगा।

(2) परन्तु यदि करारनामा समाप्ति के उपरान्त एवं पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व क्रेता शासन जो देय समस्त धनराशि, जिसमें क्रय मूल्य, विक्रय कर, मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम (15/1982) के अन्तर्गत लगाया गया वन विकास उपकर, अन्य कर, ब्याज, अर्थदण्ड, निरीक्षण व्यय विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो तेन्दू पत्ता का अपरिदत्त स्टाक अथवा गोदाम में रखा स्टाक उसे परिदत्त कर दिया जायेगा तथा मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) अपने स्वविवेक से उक्त करार को, इकाई के क्रय के मूल्य के 2 प्रतिशत तक शुल्क लेकर अवधि वृद्धि कर पुनर्जीवित कर सकेगा।

(5) (अ) क्रेता ऐसे प्रपत्रों पर ऐसा लेखा रखेगा तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को प्रस्तुत कर सकेगा जैसा कि अनुसूची (ग) में वर्णित है, तथा जैसी कि खंडीय वन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की जाये।

(ब) विनिर्दिष्ट क्षेत्र (प्रदेश) के अन्तर क्रेता उसके द्वारा क्रय किये गये तेन्दू पत्ते को ऐसे व्यक्ति या पक्ष को जो विनिर्माता के रूप में पंजीकृत है, शासन अथवा उसके पदाधिकारी के माध्यम से एवं ऐसी रीति तथा ऐसी शर्तों पर जैसी कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाये, बिक्री कर सकता है, परन्तु बिना शासन की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिक्री नहीं कर सकेगा।

(स) (1) क्रेता करार क्षेत्र में पालवातराशी (Purning) तेन्दू पत्ता संग्रहण इत्यादि के दौरान सुनिश्चित करेगा कि इन कार्यों में वनों को आग एवं तेन्दू पत्ता के वृक्षों की अवैध कटाई से हानि न पहुंचे। उक्त अवधि में तेन्दू के वृक्षों की अवैध कटाई अथवा तेन्दू के वृक्षों शाखाओं की कटाई और वनों को अग्रिम लगाना पूर्णतः वर्जितः होंगे। क्रेता न केवल उपरोक्त हानि को होने से रोकेगा, वरन आवश्यकता पड़ने पर वन विभाग को उपरोक्त अपराधों के होने की सूचना तथा उनके रोकने में सक्रिय और सामयिक सहयोग देगा।

करार क्षेत्र में पालवा तराशी व तेन्दू पत्ता संग्रहा की अवधि के दौरान वनों में पाई गई तेन्दू वृक्षों की अवैध कटाई और अग्नि से हुई हानि की पूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी।

(2) यदि करार क्षेत्र में पालवातराशी और तेन्दू पत्ता संग्रहण कार्यों के दौरान वनों को हानि होना पाया जाता है या क्रेता वनों को उपरोक्त हानि अर्थात् तेन्दू के वृक्षों की अवैध कटाई या शाखा कटाई अथवा/एवं आग से नहीं बचा पाता है, तो क्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि क्रेता द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत की प्रतिभूति की राशि में से राजसात् कर ली जायेगी।

(6) यदि क्रेता नियुक्त होने पर सम्मिलित क्षेत्र में शाख कर्तन (Purning) करना चाहता है, तो वह शासन से कोई खर्च पाने के अधिकार के बिना तथा जब तक कि शासन अथवा उसके पदाधिकारी अथवा अभिकर्ता द्वारा एकत्रित पत्ते क्रेता को परिदत्त नहीं किये जाते इकाई के पत्तों में सासन के स्वत्वाधिकार पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाग डाले बिना ऐसा कर सकेगा:

परन्तु शाख कर्तन (Purning) खंडीय पदाधिकारी द्वारा लिखित में अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही तथा ऐसी अन्य विधि तथा ऐसी कालावधि के दौरान की जायेगी जैसा कि उनके द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाये।

अनुसूची ..... क

अनुसूची .....ख

अनुसूची ..... ग

आदि

जिसके साक्ष्य में इससे सम्बन्धित पक्षों में प्रथम बार ऊपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(नाम व पूरा पता)

साक्षगण -

1. .....

2.....

.....

के हस्ताक्षर की उपस्थिति में।

साक्षगण -

1. .....

2.....

.....

क्रेता के हस्ताक्षर

प्रारूप ''घ''

(नियम 4(2) देखिये)

परिवहन अनुज्ञा-पत्र की मन्जूरी के लिये आवेदन-पत्र

(क) आवेदक का नाम.....

(ख) क्रय किये गये तेन्दू पत्तों का परिणाम .....

(1) ..... वास्तविक बोरे

(2) ..... मानक बोरे

(ग) वन खण्ड तथा इकाई, जिसमें पत्ते क्रय किये हों .....

(घ) वह स्थान या वे स्थान जहां पत्ते संग्रहीत .....

किये गये हों। यदि एक से अधिक स्थान पर ..... हो तो प्रत्येक स्थान पर सग्रहित परिणाम का ..... उल्लेख.....

(ङ) अपेक्षित प्रकार के अनुज्ञा-पत्र का उल्लेख .....

[1](च) (1) पूर्व में परिवहन किया गया परिमाण .....

वास्तविक बोरे ..... मानक बोरे.....

अनुज्ञा पत्रों के ब्यौरे ..... (2) परिणाम जिसके लिये अनुज्ञा-पत्र अपेक्षित है..... मा.वो.....

.....वास्तविक बोरे

(3) परिवहन के लिये शेष परिमाण ..... मा.वो.....

स्थान ..... मा. वो.....

(छ) अवधि जिसके लिये अनुज्ञा-पत्र मान्य होना अपेक्षित है.....

(ज) गंतव्य स्थान जहां से और तक पत्तों का .....से

परिवहन किया जाना है.....तक

(झ) परिवहन का साधन.....

(ण) मार्ग जिनके द्वारा पत्तों का परिवहन किया जाता है .....

(त) वे स्थान जहां पत्ते जांच-पड़ताल हेतु .....

प्रस्तुत किये जायेंगे .....

(थ) वह स्थान या वे स्थान जहां परिवहन .....

किये गये पत्ते संग्रहीत किये जावेंगे.....

(विक्रय प्रमाण पत्र संलग्न है) .....

स्थान .....

दिनांक ..... आवेदक के हस्ताक्षर

परिवहन अनुज्ञा-पत्र 1 (मुख्य)

(देखिये नियम 4)

पुस्तिका क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक..... मूल

(संग्रहागार डिपो से संग्रहरण गोदाम को)

श्री/मेसर्स..... वन खण्ड..... की इकाई क्रमांक..... के क्रेता के करार के खण्ड ..... के अनुसार..... मानक बोरों का क्रय मूल्य रू. ..... पूर्णतः/अंशतः चुकता किये हैं। तदनुरुप उन्हें ..... वास्तविक बोरों में बन्द ..... मानक बोरों के ..... संग्रहण डिपो (फड़) से (संग्रहण गोदाम) तक परिवहन करने की आज्ञा दी जाती है।

(2) ..... तक अनुज्ञा-पत्र वैध है। उपरोक्त पत्तों का परिवहन निम्नांकित मार्गों से किया जायेगा। ..... और जांच पड़ताल एवं परिवीक्षा के लिए निम्नांकित स्थानों पर प्रस्तुत किया जायेगा.....

(3) उस परिवहन अनुज्ञा-पत्र (सहायक) का विवरण जिसके उपयोग करने की अनुमति दी गई ..... तक दिनांक ..... पुस्तक क्रमांक..... के पृष्ठ क्रमांक ..... से ..... तक दिनांक ..... तक जारी करने के लिये वैध है।

---

1. मद 'च' अधि. सूचना क्र. 18.1.73 दस-3 (1) दिनांक 5.9.95 जो म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 5.9.95 के पृष्ठ 191 पर प्रकाशित से संशोधित।

परिवहन अनुज्ञा-पत्र 1 (सहायक)

(देखिये नियम 4)

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

(1) क्रेता का नाम.....

(2) इकाई क्रमांक ..... वन खण्ड .....

(3) परिवहन अनुज्ञा-पत्र 1 (मुख्य) का सन्दर्भ .....

(1) पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

(2) अनुज्ञप्तिः मात्रा ..... मानक बोरे

वास्तविक बोरे

(3) दिनांक ..... तक वैध है।

(4) इस पृष्ठ से प्रसारित होने के पूर्व ही उपरोक्त अधिकार के अन्तर्गत परिवर्तन की गई मात्रा .....

(5) उस पृष्ठ के साथ अब परिवहन .....

की जा रही मात्रा ..... मानक बोरे

वास्तविक बोरे

प्रत्येक बोरे का अनुक्रमांक तथा मात्रा का उल्लेख करें।

(6) ..... से ..... तक

(7) परिवहन मार्ग .....

(8) जांच पड़ताल के स्थान .....

(9) दिनांक ..... तक अनुज्ञा-पत्र वैध है।

स्थान ..... जारी करने वाले के हस्ताक्षर

दिनांक .....समय .....जांच की गई

दिनांक

जांच करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नोट - जब तक वन मण्डलाधिकारी द्वारा लिखित में या अन्यथा उल्लिखित न हो, समयावधि 48 घण्टे से अधिक न होगी।

परिवहन अनुज्ञा-पत्र 2

(नियम 4 देखें)

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

एक संग्रहण गोदाम से किसी दूसरे अथवा वितरण केन्द्र के निमित्त

(1) क्रेता का नाम .....

(2) इकाई क्रमांक ..... खण्ड .....

(3) खण्डीय वन पदाधिकारी के अधिकार का संदर्भ.....

क्रमांक ..... दिनांक .....

(4) परिमाण तथा अवधि जिसके लिए — मानक बोरे

उपरोक्त 3 अन्तर्गत अधिकार — वास्तविक बोरे

प्रसारित कियाय गया है।

(5) उपरोक्त अधिकार के अन्तर्गत पूर्व में — मानक बोरे

परिवहन की गई मात्रा। — वास्तविक बोरे

(6) इस अनुज्ञा-पत्र के साथ परिवहन की — मानक बोरे

जा रही — मात्रा। ~~वास्तविक बोरे~~

(बोरों का अनुक्रमांक तथा मात्रा दें)

(7) ..... से ..... तक

(8) परिवहन का मार्ग .....

(9) जांच-पड़ताल के स्थान/स्थानों के नाम .....

(10) अवधि ..... तक यह अनुज्ञापन-पत्र वैध है।

स्थान ..... जारी करने वाले के हस्ताक्ष्ज्ञर

दिनांक ..... समय .....

जांच किया -

जांच करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर/दिनांक

नोट - जब तक वन मण्डलाधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत न किया जावे, कालावधि 48 घण्टे से अधिक न होगी।

परिवहन अनुज्ञा-पत्र-3

(देखिये नियम 4)

सट्टेदारों अथवा मजदूरों में वितरण हेतु

(1) क्रेता का नाम .....

(2) इकाई क्रमांक ..... वन खण्ड .....

(3) संग्रहण डिपो जहां से पत्ते दिये गये हैं .....

(4) उस व्यक्ति का नाम जिसे पत्ते दिये गये हैं .....

(5) स्थान जहां परिवहन किये जा रहे हैं .....

(6) मात्रा .....

(7) समयावधि जिसमें पत्तों की खपत होगी।

स्थान .....

दिनांक ..... समय .....

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नोट - पत्तों के परिवहन करने के लिए पास जारी होने के 24 घण्टों तक की अवधि मान्य होगी।

परिवहन अनुज्ञा-पत्र 4 (मुख्य)

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ .....

मध्य प्रदेश के बाहर परिवहन के लिये

(1) श्री/मेसर्स ..... क्रेता, इकाई नं. ..... वन मण्डल..... को ..... मानक बोरे जो ..... वास्तविक बोरों में रखे हैं, को ..... से ..... तक सड़क द्वारा, पश्चात् ..... तक रेल द्वारा परिवहन की अनुमति दी जाती है।

(2) मध्य प्रदेश के बाहर प्राप्तकर्ता ..... का नाम व पता .....

(3) यह अनुज्ञा-पत्र दिनांक ..... तक वैध है।

स्थान..... वन मण्डलाधिकारी

दिनांक ..... वन मण्डल

परिवहन अनुज्ञा-पत्र-4 (सहायक)

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

(1) क्रेता का नाम .....

(2) इकाई क्रमांक ..... वन मण्डल.....

(3) परिवहन अनुज्ञा पत्र 4 (मुख्य) का सन्दर्भ -

(i) पुस्तक क्र. ..... पृष्ठ क्रमांक .....

मानक बोरे

(ii) अनुज्ञापित मात्रा .....

वास्तविक बोरे

(iii) अवधि ..... तक वैध है।

(4) इस पृष्ठ के प्रसारित होने के पूर्व उपरोक्त अधिकार के अन्तर्गत परिवहन की गई मात्रा:

(i) अनुज्ञा-पत्र 4 (सहायक) के ब्यौरे:

पुस्तक क्र. ..... पृष्ठ क्रमांक..... दिनांक .....

(ii) मात्रा ..... मानक बोरे ..... वास्तविक बोरे

(5) इस अनुज्ञा-पत्र के साथ परिवहन की जा रही मात्रा (बोरे का क्र. तथा मात्रा दर्शावे)।

मानक बोरे

.....

वास्तविक बोरे

मानक बोरे

(6) परिवहन हेतु शेष मात्रा .....

वास्तविक बोरे

(7) ..... से .....तक

(8) परिवहन मार्ग .....

(9) जांच पड़ताल का स्थान .....

(10) दिनांक ..... तक अनुज्ञा-पत्र वैध है।

स्थान .....

दिनांक ..... समय .....

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

जांच की गई .....

स्थान .....

दिनांक ..... समय .....

नोट - जब तक वन मण्डलाधिकारी द्वारा लिखित में या अन्यथा प्राधिकृत न किये जावे अवधि 48 घण्टे से अधिक नहीं होगी।

प्रारूप ङ

(नियम 6(2) देखिये)

नियम 10 के अधीन उगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन पत्र

(क) आवेदक का नाम, पिता का नाम तथा पता .....

.....

(ख) उन भूखण्डों की स्थिति क्षेत्रफल खसरा नं. जिन पर तेंदू पत्ते उगाये जाते हैं.....

(ग) भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में विशिष्टियां .....

(घ) प्रत्येक भूखण्ड में विद्यमान तेन्दू की .....

झाड़ियों की संख्या .....

(ङ) क्या वे पत्ते वाणिज्यिक फसल के .....

रूप में उगा रहा है । यदि ऐसा है तो .....

उसने कोई काट-छांट की है, तथा .....

गत तीन वर्षों में क्या खर्च हुआ .....

प्रत्येक वर्ष के खर्च का ब्यौरा दिया जावे.....

(च) पत्तों का अनुमानित उत्पादन .....

(छ) गत तीन वर्षों में कितना पत्ता .....

संग्रहीत किया गया। प्रत्येक वर्ष .....

के सम्बन्ध में उत्पादन का विवरण दिया जावे .....

(ज) गत दो वर्षों का तुड़ाई के मौसम में .....

अर्थात् वर्ष ..... एवं ..... में.....

पत्ते किसको तथा कितनी रकम में बेचे गये .....

(झ) वह स्थान या वे स्थान जहां तेन्दू पत्ता परिदान होने ..... तक संग्रहीत किये जावेंगे .....

स्थान .....

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप 'च'

उगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

(नियम 6(2) देखिये)

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक ..... प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... आत्मज ..... ग्राम ..... थाना..... तहसील..... जिला..... वन खण्ड..... की इकाई क्रमांक ..... में स्थित, को.....

मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 की धारा 10 के प्रयोजन के लिये तेन्दू पत्ता उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। उनके निम्नलिखित खातों में बीड़ी निर्माण योग्य तेन्दू पत्तों का अनुमानित वार्षिक उत्पादन ..... मानक बोरा है।

संग्रहण केन्द्र के स्थान निम्न होंगे -

(1) .....

(2) .....

(3) .....

खातों का वितरण -

.....

.....

वनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर

वन मण्डल

दिनांक .....

प्रारूप छ

(नियम 8(2) देखिये)

धारा 11 के अन्तर्गत [1]विनिर्माता और व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन-पत्र -

(1) आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता। यदि वह रजिस्ट्रीकृत फर्म या कम्पनी हो तो, रजिस्ट्रीकरण का क्रमांक, तथा वर्ष। मुख्तारनामा धारण करने वाले व्यक्ति का नाम व पता मुख्तारनामे की प्रति संलग्न की जावे।.....

(2) कारोबार का/के स्थान, प्रधान कार्यालय या मुख्यालय का स्थान, ग्राम नगर तहसील, पुलिस-थाना, जिला।

(3) मानक बोरों में तेन्दू पत्तों के व्यापार का विवरण -

(क) प्रतिवर्ष निर्मित बीड़ियों का औसत परिणाम ..... और/या गत तीन वर्षों में राज्य से बाहर निर्यात किये गये तेन्दू पत्तों का औसत परिमाण तथा गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये पत्तों का परिमाण -

मात्रा (मानक बोरों में)

वर्ष .....

वर्ष .....

वर्ष .....

(ख) निर्माता की दशा में व्यापार चिन्ह (यदि हो) .....

निर्यातक की दशा में उस स्थान या स्थानों .....

के नाम जहां तेन्दू पत्ते निर्यात किये गये .....

(ग) तेन्दू पत्तों की वार्षिक अनुमानित मात्रा (मानक बोरों) में निम्न प्रयोजनों के लिये -

प्रयोजन मात्रा (मानक बोरों में)

(i) बीड़ियों के निर्माण .....

(ii) निर्यात .....

(घ) गोदाम/गोदामों के स्थान .....

नाम जहां आवेदक के पत्तों का स्टाक संग्रहीत किया जाता है .....

(ङ) रीति, जिसमें कि अपेक्षित स्टाक .....

प्राप्त किया जाता है .....

(च) केन्द्रीय आबकारी विभाग के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन क्रमांक .....

---

1. म.प्र. शासन अधि. क्र. एफ 26.2.2002 दस-3 दिनांक 6.1.09 द्वारा संशोधित। अधि. म.प्र. राजपत्र भाग 4(ग) दि. 16.1.09 पृष्ठ 85-86 पर प्रकाशित।

(4) आवेदक बीड़ियों के निर्माता पत्तों के निर्यातक के रूप में

कब से तेन्दू पत्तों का व्यापार करता है .....

(5) दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम व पते जिनकों कि आवेदन पत्रों के सत्यापन के लिये हवाला दिया जा सके।

(1) .....

(2) .....

(6) मानक बोरों में पत्तों का परिमाण जिसके .....

लिये रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है। .....

(7) वर्ष जिसके लिये रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है। .....

(8) क्या आवेदक पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किया गया था, यदि हो, तो।

वर्ष	वनखण्ड	पत्तों का परिमाण

(9) अन्य कोई जानकारी जो आवेदक ..... देना

चाहे, कि वह बीड़ियों का ..... वास्तविक निर्माता तथा/या पत्तों का ..... वास्तविक निर्यातक है। .....

(10) रजिस्ट्रीकरण फीस क्र. ..... की देनगी का प्रमाण-पत्र।

स्थान

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप 'ज'

(नियम 4(2) देखिये)

[1]विनिर्माता और व्यापार के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र।

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/मेसर्स ..... आत्मज..... निवासी (स्थान) ..... पुलिस थाना ..... तहसील..... जिला..... को मध्य प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनिमयन) नियम, 1964 की धारा 11 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजनों के लिये [1]विनिर्माता और

व्यापार के रूप में वर्ष .....मानक बोरे हैं और जो निम्नलिखित में से एक या अधिक या समस्त स्थानों पर संग्रीहत किये जावें।

(1).....

(2).....

(3) .....

कार्यालय की सील

वन मण्डलाधिकारी के

हस्ताक्षर

दिनांक

प्रतिलिपि वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता, भोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ।

वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल

---

1. अधि. क्र. एफ. 26.2.2002 दस-3 दि. 6.1.09 द्वारा संशोधित।

प्रारूप 'झ' (नियम 8(4) देखिये)

[1]विनिर्माता और या व्यापारी के तेन्दू पत्तों के लेखाओं का रजिस्टर

गोदाम का नाम ..... निर्माता/निर्यातक का नाम ..... रजिस्ट्रेशन क्र.....

गत विवरण प्रस्तुत करते समय शेष स्टाक मानक	स्टाक जो और प्राप्त हुआ (मानक बोरों में)		कालम (3) में तेन्दू पत्तों के अर्जन की रीति (स्थापित करने	कालम (1) एवं (3) का योग	तेन्दू पत्तों के निवर्तन का दिनांक तथा मात्रा	
	दिनांक	मानक बोरों में			दिनांक	मानक बोरों में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

निवर्तन का विवरण (स्तापनीय ब्यौरे जैसे खर्च हुआ, विक्रय हुआ या अनुपयोगी होने से नष्ट किया)	कालम (7) के पश्चात शेष तेन्दू पत्तों की मात्रा मानक बोरों में	रिमार्क
(8)	(9)	(10)
..... को समाप्त होने वाली कालावधि के लिये विवरण।	निर्माता/निर्यातक के तेन्दू पत्तों का नियतकालिक विवरणी।	

प्रारूप 'ज'

(नियम 8(4) देखिये)

नाम ..... रजिस्ट्रेशन क्र. .....

गोदाम का क्रमांक तथा नाम जहां स्टाक संग्रहित किया गया हो	गत विवरणी प्रस्तुत करते समय शेष स्टाक या रजिस्ट्रीकरण के समय हस्तगत स्टाक (मानक बोरों में)	गत विवरणी तथा इस विवरणी के बीच जोड़ा गया स्टाक			कालम (2) तथा (3) का योग (माक बोरों में)
		(मात्रा) मानक बोरों में	प्रारूप 'झ' के रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांकों का संदर्भ	क्रय रसीद आदि जैसे साक्ष्य का संदर्भ देते हुए पत्तों के अर्जन का मास	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निर्वतन					
गत तथा इस विवरणी के बीच उपयोग या निवर्तित की गई मात्रा (मानक बोरों में) (7)		निर्वतन की रीति क्या उस परिमाण का उपयोग किया गया या अनुपयोगी होने से नष्ट कर दिया गया (8)		विवरण की प्रस्तुति के दिनांक शेष स्टाक (मानक बोरों में) (9)	रिमार्क (10)

(1)

(2)

(3)

---

1. अधि. क्र. एफ. 26.2.2002 दस-3 दि. 6.1.09 द्वारा संशोधित।

प्रारूप 'ट'

(नियम 8(5) देखिये)

निर्माता/निर्यातक द्वारा घोषणा

मैं/हम ..... में घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम बीड़ियों का वास्तविक निर्माता तथा /तेन्दू पत्तों का वास्तविक निर्यातक हूं/हैं और ..... राज्य के ..... जिले में कारबार कर रहा हूं मेरे कारोबार के ब्यौरे निम्न प्रिकार हैं -

(1) व्यक्ति या फर्म या कम्पनी ..... का नाम जिसके नाम से कारबार ..... किया जाता है।

(2) फर्म या कम्पनी का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....

(3) कारबार के केन्द्रों के नाम, जहां कारबार या गोदाम हो -

(1) ..... (2) ..... (3).....

(4) घोषणा प्रस्तुत करते समय प्रत्येक गोदाम में मानक बोरों में तेन्दू पत्ता का वर्तमान स्टाक-संग्रहण केन्द्र गोदाम का नाम परिमाण (मानक बोरों में)

(1).....

(2).....

(3).....

(4) बीड़ी/बीडियों का/के व्यापार चिन्ह ..... (यदि कोई हो)

(5) पूर्व के दो वर्षों में प्रतिवर्ष निर्मित बीड़ियों का परिमाण तथा उपयोग में लाये तेन्दू पत्तों का परिमाण-

अनुक्रमांक (1)	वर्ष (2)	निर्मित बीड़ियों की संख्या (3)	उपयोग में लाये तेन्दू पत्तों का परिमाण मानक बोरों में (4)

(7) आगामी वर्ष में बीड़ियों का अनुमानित निर्माण और उसके तेन्दू पत्तों की प्राक्कलित आवश्यकता -

(क) प्राक्कलित निर्माण संख्या में .....

(ख) तेन्दू पत्तों की प्राक्कलित मात्रा (मानक बोरों में).....

(8) पूर्व के दो वर्षों। में प्रति वर्ष निर्यात किये गये तेन्दू पत्तों का परिमाण:

वर्ष (1)	निर्यात का स्थान (2)	किसको निर्यात किया गया या बेचा गया (3)	परिमाण मानक बोरों में (4)

(1)..... (1)

(2)

(3)

(2) ..... (1)

(2)

(9) आगामी वर्ष ..... के दौरान प्राक्कलित निर्यात की मात्रा.....
(मानक बोरों में)

मैं यह और घोषित करता हूं कि मैंने मध्य प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध पढ़ लिये है तथा समझ लिये हां।

ऊपर दिये समस्त ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार ठीक हैं और उसके प्रमाण में साक्ष्य पेश कर सकूंगा।

निर्माता/निर्यातक के हस्ताक्षर

घोषणा प्रस्तुत करने का दिनांक ..... दिनांक ..... को पदाधिकारी ..... को स्थान ..... पर दो प्रतियों में प्रस्तुत की गई।

निर्माता/निर्यातक के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता भोपाल म.प्र. को अग्रेषित।

निर्माता/निर्यातक के हस्ताक्षर

प्रारूप 'ठ'

(नियम (9) देखिये)

विक्रय का प्रमाण-पत्र

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक.....

(1) क्रेता का नाम.....

(2) विक्रयगार तथा इकाई का नाम .....

(3) विक्रय परिदान का दिनांक .....

स्थान .....

दिनांक .....

शासकीय पदाधिकारी

अभिकर्ता या प्राधिकृत

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

खण्ड -3

तेन्दूपत्ता इकट्ठा करने वाले सभी संग्राहकों के लिये
समूह जीवन बीमा की अभिनव योजना

तेन्दूपत्ता इकठ्टा करने वाले सभी लोगों के लिये म.प्र. सरकार ने एक अनूठी सामाजिक योजना लागू की है। इस योजना से 24 लाख से अधिक परिवारों को सुरक्षा मिल रही है।

इस बीमा योजना की खास-खास बातें

- यह योजना तेन्दू पत्त इकट्ठा करने वाले उन सभी लोगों पर लागू है जिनकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष से बीच की है।
- यह योजना गत कई वर्षों से लागू है। यदि किसी परिवार में किसी तेन्दूपत्ता इकट्ठा करने वाले सदस्य की मृत्यु हो तो उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति, बीमें की रकम पाने का हकदार होगा। यदि किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु उसके द्वारा नामांकन फार्म भरने के पूर्व हो गई है या हो जाती है, तो बीमें की रकम पाने के हकदार उसके वारिस होंगे।
- सामान्य मृत्यु के मामले में बीमें की रकम 3500/- रु. होगी लेकिन यदि मृत्यु दुर्घटना में हुई हो तो बीमें की रकम 7000/- रु. होगी। कुछ मुख्य दुर्घटना मृत्यु की दशा में बीमें की रकम 25000/- रु. तक होगी।
- इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली राशि अन्य योजनाओं से प्राप्त होने वाली राशि के अतिरिक्त होगी।
- इस योजना के अन्तर्गत किसी भी तेन्दू पत्ता इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को कोई (बीमें की किस्त) नहीं देना पड़ेगा। तेन्दू पत्ता इकट्ठा करने वाले लोगों का बीमा करने के लिए उनकी ओर से हर साल 339 रु. या अधिक रकम म.प्र. सरकार देगी।
- इस योजना का क्रियान्वयन म.प्र. लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा किया जायेगा।

दावा राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया

1. यदि तेन्दू पत्ता इकट्ठा करने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उसके वारिस निर्धारित दावा फार्म भरकर संबंधित, प्राथमिक वन उपज सहकारी समिति को प्रस्तुत करेंगे। प्राथमिक समिति प्रकरण का पूर्ण परीक्षण व पूर्ति उपरान्त तत्काल प्रकरण जिला यूनियन को प्रस्तुत करेंगे। जिला यूनियन द्वारा प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर यदि कोई त्रुटि हो तो उसकी पूर्ति कराकर प्रकरण जीवन बीमा निगम को प्रेषित करेंगे।
2. इस योजना में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि उसकी मृत्यु होने पर बीमा राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नामांकन निर्धारित फार्म में कर दें, ताकि उसके घरवालों को बीमा की राशि मिलने में कठिनाई न हो। यह अत्यन्त आवश्यक है व प्रबंधक व अध्यक्ष प्राथमिक समिति एवं नोडल आफिसर यह सुनिश्चित करें कि नामांकन पत्र प्रत्येक संग्रहक द्वारा भरा जा चुका है।
3. नामांकन तथा दावा फार्म प्राथमिक वन उपज समिति से प्राप्त किये जा सकते हैं। एवं वहीं भरकर जमा किये जा सकते हैं।
4. यदि नामांकन अथवा दावा फार्म प्राप्त करने, दावा प्रस्तुत करने या दावा राशि प्राप्त करने में कोई कठिनाई या अड़चन आये तो संबंधित वन मण्डलाधिकारी, वन परिक्षेत्राधिकारी या परिक्षेत्र सहायक से संपर्क स्थापित करें।
5. मृत्यु प्रमाण पत्र थाने का भेजा जाये अथवा सरपंच के मृत्यु प्रमाणपत्र में पंजीयन क्रमांक लिखकर मूल प्रति भेजें। समिति अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त मृत्यु प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6. दुर्घटना मृत्यु दावा हेतु आवश्यक दस्तावेज।
   1. प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने से, सील आवश्यक रूप से लगी हो (एफ.आई.आर.)
   2. पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पी.एम. रिपोर्ट)

3. पुलिस अन्तिम रिपोर्ट

प्रति,

भारतीय जीवन बीमा निगम
60- B होशंगाबाद रोड़, जीवन शिखा, भोपाल
नामांकित व्यक्ति द्वारा पूर्ण करने हेतु

1. प्राथमिक वन उपज समिति का नाम
2. जिला युनियन का नाम
3. मृतक का नाम
4. मृतक के पिता/पति का नाम
5. मृतक का पता
   अ. ग्राम ब. तहसील स. जिला
6. मृतक की आयु
7. योजना में शामिल होने की तिथि
8. मृत्यु का स्थान
9. मृत्यु का स्थान
10. मृत्यु का कारण
11. मृत्यु यदि दुर्घटना से हुई हो
    तो दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण
12. नामांकित व्यक्ति/दावेदार
    1. नाम तथा आयु
    2. मृतक से संबंधि
    3. पूर्ण पता
       अ. ग्राम
       ब. तहसील
       स. जिला
13. अभिभावक का नाम व पूर्ण पता
    (यदि दावे के समय नामांकित व्यक्ति नाबालिग हो)

स्थान ..... दावेदार के पूर्ण हस्ताक्षर
दिनांक .....

नामांकन - पत्र

प्रपत्र - एक

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए समूह बीमा योजना में सम्मिलित होने वाली व्यक्ति के द्वारा भरे जाने वाला नामांकन-पत्र

मैं .....पिता/पति का नाम श्री ..... निवास स्थान..... मोहल्ला/ग्राम/प्राथमिक समिति ..... तहसील..... जिला ..... का निवासी.....

मैं (व्यवसाय) ..... में कार्यरत हूं तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य वनोपज समिति ..... जिला यूनियन ..... में करता हूं।

मैं योजना के नियमों के अन्तर्गत एतद द्वारा श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री ..... को नामांकित करता/करती को नामांकित करता/करती हूं। इनकी उम्र .....है तथा वे मेरे (संबंध रिश्ता) ..... हैं तथा उनका पता ..... हैं।

यह नामांकित व्यक्ति मेरी मृत्यु होने के पश्चात् उस योजना के अन्तर्गत राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा/होगी।

आज

दिन..... माह ..... सन् 20..... पर हस्ताक्षरित किया गया।

साक्षीः

1. हस्ताक्षर .....
2. नाम.....
3. पता.....

सदस्य के हस्ताक्षर

प्रपत्र-दो (ब)

विमुक्ति पत्र

मैं/श्री/श्रीमती कुमारी (दावेदार का नाम) ..... एतद् घोषित करता/करती हूं कि श्री/श्रीमती कुमारी सदस्य का नाम) ..... जो म.प्र. तेन्दू पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना के/की दिनांक ..... से सदस्य/सदस्या थे/थी, की दिनांक ..... को मृत्यु हुई है उक्त योजना के लिये किए गए नामांकन के अनुसार /के अन्तर्गत मैं मृत्यु हितलाभ की राशि प्राप्त करने का/की दावेदार हूं।

एतद् द्वारा मैं भारतीय जीवन बीमा निगम से योजना नियमानुसार रु. 3500 / - (रु. तीन हजार पांच सौ मात्र) रु. 7000 / - रु. सात हजार मात्र रु. 25000 / - रु. पच्चीस हजार सिर्फ स्वर्गीय श्री/श्रीमती कुमारी (बीमित सदस्य का नाम) के दावे बाबत्, राशि प्राप्त करने के पावती देता/देती हूं।

स्थान..... दिनांक ..... माह .....सन् 19.....

साक्षी .....

नाम.....

पता.....

दावेदार की सही

सहकारी समिति के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि दावा पत्र, विमुक्ति पत्र एवं अग्रिम रसीद में दर्शायी गयी सम्पूर्ण जानकारी हमारे अभिलेखों तथा सूचना के अनुसार सत्य है। मृतक व्यक्ति हमारे अभिलेखों में सूची क्रं. पर उल्लिखित व्यक्ति है। मृत्यु दावे के अन्तर्गत रु. 3500/- तीन हजार पांच सौ रुपये, मात्र रु. 7000/- (सात हजार रु. मात्र)/ रु. 25000/- (पच्चीस हजार रु. मात्र) का चेक दावेदार के दर्शाये पते पर भेजने का कष्ट करें। दावे के भुगतान हेतु नगर पालिका/ग्राम पंचायत ..... द्वारा दिनांक ..... को जारी मृत्यु प्रमाण पत्र क्र. ..... समक्ष अधिकारी द्वारा प्रमाणित संलग्न है।

अध्यक्ष/प्रबंधक; जिला तेन्दूपत्ता
संग्राहक सहकारी समिति के हस्ताक्षर

नाम.....

सील

प्रति हस्ताक्षर, प्रबंध संचालक,
जिला यूनियन कार्यालय
सील